

**Section 16 : Constitution of Appellate Authority for Advance Ruling**

- (1) The Central Government shall, by notification, constitute an Appellate Authority to be known as the (name of the Union territory) Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax for hearing appeals against the advance ruling pronounced by the Advance Ruling Authority:

**Provided that** the Central Government may, on the recommendations of the Council, notify any Appellate Authority located in any State or any other Union territory to act as the Appellate Authority for the purposes of this Act.

- (2) The Appellate Authority shall consist of-
- (i) the Chief Commissioner of central tax as designated by the Board; and
  - (ii) the Commissioner of Union territory tax having jurisdiction over the applicant.
-

**धारा 16 : अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन**

- (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसका नाम (संघ राज्यक्षेत्र का नाम), अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण होगा:

**परन्तु** केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी राज्य या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

- (2) अपीलीय प्राधिकरण,—

- (i) केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त जिसे बोर्ड द्वारा अभिहित किया जाए; और  
(ii) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त, से मिलकर बनेगा।